न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री आई0डी0सं02006 / 7832 / उदयपुर

गजसिंह गोद पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

———अपीलार्थी

बनाम

1—श्रीमति भंवर कंवर पिता देवीसिंह पत्नि भैरूसिंह राजपूत निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2—श्रीमति सज्जन कंवर पिता देवीसिंह निवासी देबारी तहसील गिर्वा उदयपुर हाल शिवसिंह का गुडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3—श्रीमति इन्द्र कंवर पिता देवीसिंह निवासी देबारी तहसील गिर्वा उदयपुर हाल शिवसिंह का गुडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4—श्रीमति मोहन कंवर पिता देवीसिंह निवासी देबारी तहसील गिर्वा उदयपुर हाल बैरन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5—श्रीमति मेहताब कुंवर पिता देवीसिंह निवासी देबारी तहसील गिर्वा उदयपुर हाल वाडी(चिरवा) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6—रतनसिंह पिता रोडसिंह
7—भंवरसिंह पिता रोडसिंह
8—किशनसिंह पिता रोडसिंह
9—दौलतसिंह पिता रोडसिंह
10—जगतसिंह पिता जामनत सिंह
11—प्रतापसिंह पिता सोहनसिंह
12—भूरसिंह पिता सोहनसिंह
13—पृथ्वीसिंह पिता भैरूसिंह
14—बदनसिंह पिता धनसिंह (मृत्तक)
15—भोपालसिंह पिता जोधसिंह
16—जयसिंह पिता जोधसिंह
17—किशोरसिंह पिता खुमाणसिंह
18—श्रीमति बदनबाई पत्नि देवीसिंह
सभी जाति राजपूत निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
19—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

———प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
डॉ0जी0के0तिवारी, सदस्य
श्री बी0एल0गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः
श्री यज्ञदत शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री पूर्णा शंकर दशोरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1से 3, 5 व 18
शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही

दिनांक 19 जनवरी, 2012

निर्णय

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (एतदपश्चात संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 224 के अन्तर्गत यह द्वितीय अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा अपील सं0137/2005 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 6–11–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा हेतु उपखण्ड अधिकारी गिर्वा (उदयपुर) के न्यायालय एक राजस्व वाद संस्थित किया गया। इस वाद में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने से उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 15–5–1991 से अपीलार्थी/वादी को वादग्रस्त भूमि का गोद पुत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने की इकतरफा डिक्री पारित की। उपखण्ड अधिकारी के इस निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–5–1991 के विरूद्ध प्रत्यर्थी सं01 से 5 , जो खातेदार देवीसिंह की पुत्रियॉ हैं, ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 6–11–2006 से स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी के इकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 15–5–1991 को निरस्त कर दिया। फलस्वरूप अपीलार्थी/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– उक्त सम्बंध में उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सं014 बदनसिंह पिता धनसिंह का देहावसान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के दौरान ही हो गया था परन्तु प्रत्यर्थी बदनसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया जिससे यह प्रथम अपील 'अबेट' हो चुकी है। 1999 डी0एन0जे0(राज0) 44, 2009(1)आरआरटी 28, 2002 आरआरटी(1) 359 तथा 1968 आरआरडी 504 का दृष्टांत देते हुए योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि मृत्तक के कायम मुकाम वारिसान के प्रश्न का निर्धारण उसी न्यायालय द्वारा किया जावेगा जिसके समक्ष लम्बित

कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी का निधन हुआ था परन्तु भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने ऐसा नहीं करने में विधिक त्रुटि की है तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये आलोच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि देवीसिंह की खातेदारी स्वत्व की भूमि थी तथा देवीसिंह ने अपीलार्थी/वादी को गोद रख लिया था जो मृत्तक देवीसिंह की विधवा पत्नि ने स्वीकार किया है। अतः देवीसिंह का गोद पुत्र होने के कारण वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी/वादी को खातेदार घोषित करने में उपखण्ड अधिकारी गिर्वा ने कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील स्वीकार करते हुए भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के आलोच्य निर्णय को निरस्त किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 15–5–1991 को यथावत कायम रखा जावे।

5– प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी/वादी मृत्तक खातेदार देवीसिंह का स्वंय को गोद पुत्र बताते हुए विचारण न्यायालय में वाद दायर किया था परन्तु अपीलार्थी/वादी ने देवीसिंह की पत्नि तथा उसकी पॉच पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया जब कि वे देवीसिंह की भूमि में हितबद्ध होने से वाद में आवश्यक पक्षकार थी। ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आलोच्य निर्णय न्यायोचित है विशेष रूप से जबकि शेष प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का इस विवादित भूमि में कोई हित नहीं है फिर भी उन्हें अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि वादी ने मृत्तक बदनसिंह के विरूद्ध किसी तरह का अनुतोष नहीं चाहा है। विचारण न्यायालय में बदनसिंह पर सम्मन/नोटिस विधिवत तामील हुआ था परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण से बदनसिंह के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गयी। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 (4) के अनुसार बदनसिंह के विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करना आवश्यक नहीं है तथा इससे प्रकरण उपशमित नहीं होता है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष समर्थन में 1990 एआईआर (राज0)15, 1994 एआईआर (राज0) 9, 1994 एआईआर (एमपी) 24 का उद्धहरण प्रस्तुत किया। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी/वादी ने तथाकथित गोद को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। अतः आवश्यक पक्षकारों के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा पारित इकतरफा निर्णय दिनांक 15–5–1991 त्रुटिपूर्ण

होने से भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आलोच्य निर्णय से इसे निरस्त करने में किसी तरह की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः द्वितीय अपील को निरस्त किया जावे।

6— हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, आलोच्य निर्णय तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी/वादी गजसिंह ने स्वंय को वादग्रस्त भूमि के मृत्तक खातेदार देवीसिंह का गोद पुत्र बताते हुए खातेदारी अधिकार की उद्घोषणा हेतु वाद उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में संस्थित किया है परन्तु अपीलार्थी/वादी ने मृत्तक खातेदार देवीसिंह की पत्नि तथा पॉच पुत्रियों (प्रत्यर्थी सं01 से 5) को पक्षकार नहीं बनाया है। जिन शेष प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी/वादी ने प्रतिवादीगण के रूप संयोजित किया है उनका वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध नहीं है तथा न ही उनका हित है। इस बारे में प्रत्यर्थी सं0 6 से 10 जो विचारण न्यायालय में प्रतिवादी सं01 से 5 हैं उन्होंने यह स्पष्टतः जवाब प्रस्तुत किया है कि इन प्रतिवादीगण का इस वाद व भूमि में कोई हित नहीं है। इस प्रकरण में यह भी जाहिर हुआ है कि प्रत्यर्थी सं014 बदनसिंह जो प्रतिवादी सं09 के रूप में संयोजित था, की मृत्यु 24—11—1998 को हो चुकी थी परन्तु उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष निम्न दो बिन्दु अवधार्य हैंः—

(क)— क्या प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बदनसिंह की मृत्यु उपरांत उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित नहीं करने के कारण अपील उपशमित हो जाती है?

(ख)— क्या वादग्रस्त भूमि के खातेदार मृत्तक देवीसिंह की पत्नि एवं पुत्रियॉ वाद में आवश्यक पक्षकार थी तथा इनके पक्षकार नहीं संयोजित करने का इस प्रकरण पर क्या प्रभाव है ?

बिन्दु संख्या (क) के सम्बंध में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि प्रत्यर्थी बदनसिंह की मृत्यु भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित वाद के दौरान ही हो गयी थी। अतः मृत्तक प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को मृत्तक के स्थान पर पक्षकार प्रतिस्थापित करने का दायित्व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी का ही था तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी को ही सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22

नियम 5 के अन्तर्गत यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मृत्तक के वारिसान कौन है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत उन्हें पक्षकार संयोजित करना चाहिए था। अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। प्रथमतः तो यह तर्क भी मान्य नहीं है कि प्रत्यर्थी बदनसिंह की मृत्यु भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील की सुनवाई के दौरान हुई थी। पत्रावली में संलग्न बदनसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र से यह ज्ञात होता है कि बदनसिंह की मृत्यु 24–11–1998 को हुई थी जबकि भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 17–10–2005 को प्रथम अपील दायर की गयी थी। अर्थात बदनसिंह की मृत्यु विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–5–1991 के पश्चात तथा प्रथम अपील दायर दिनांक 17–10–2005 से पूर्व हुई थी।

8– द्वितीयतः यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बदनसिंह पर विधिवत सम्मन/नोटिस तामील हुआ था तथा इसके बावजूद बदनसिंह विचारण न्यायालय में अनुपस्थित रहे थे, जैसा कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27–7–98 से विदित होता है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4(4) के अनुसार मृत्तक प्रत्यर्थी बदनसिंह के विधिक प्रतिनिधिगण को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यह अभिनिर्धारण करने में हमें 1994 ए0आई0आर0 (राज0) 9, बदामीलाल बनाम हर्षवर्धन का अवलम्बन प्राप्त है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि विपक्षी पर सम्मन/नोटिस की तामील हो जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने के दौरान अगर विपक्षी की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा 1994 ए0आई0आर (एम0पी0) 24 मोहम्मद हारून व अन्य बनाम सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया व अन्य में भी माननीय उच्च न्यायालय (मध्य प्रदेश) ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सम्मन/नोटिस तामील होने के उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवाद नहीं करने की स्थिति में ऐसे पक्षकार की मृत्यु के उपरांत उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करना आवश्यक नहीं है तथा इस कारण से अपील उपशमित भी नहीं होती है। इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गिरधारीलाल व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण, 1990

एआईआर (राज0) 15 का दृष्टांत भी समीचीन है जो विचाराधीन इस प्रकरण पर लागू होता है।

9— उक्त तथ्यात्मक वस्तुस्थिति एवं विधिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में मृत्तक बदनसिंह जिसके विरूद्ध अपीलार्थी/वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है उस पर सम्मन/नोटिस की तामील के उपरांत भी अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसकी मृत्यु उपरांत मृत्तक के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4(4) के अनुसार प्रतिस्थापित करना अनिवार्य नहीं है तथा इस कारण से अपील उपशमित नहीं होती है।

10— जहॉ तक बिन्दु संख्या (ख) 'क्या वादग्रस्त भूमि के खातेदार मृत्तक देवीसिंह की पत्नि एवं पुत्रियॉ वाद में आवश्यक पक्षकार थी तथा इनके पक्षकार नहीं संयोजित करने का इस प्रकरण पर क्या प्रभाव है ?' का प्रश्न है यह निर्विवाद है कि मृत्तक खातेदार देवीसिंह की विधवा पत्नि तथा पॉच पुत्रियॉ मौजूद है। परन्तु अपीलार्थी/वादी ने इन्हें पक्षकार नहीं बनाया है जबकि अपीलार्थी/वादी देवीसिंह की खातेदारी भूमि में ही अपना स्वत्व निर्धारण व स्वत्व उद्घोषणा चाहता है। यह भी आश्चर्यजनक है कि विचारण न्यायालय ने इन आवश्यक व अनिवार्य पक्षकारों के संयोजन के अभाव में ही इकतरफा डिक्री पारित कर दी है। यह भी आश्चर्यजनक है कि विचारण न्यायालय ने मृत्तक खातेदारी देवीसिंह की पत्नि बदनबाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 19—2—91 को अभिलेख पर प्राप्त कर इस पर अपना निर्णय आधारित किया है जबकि बदनबाई वाद प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है। जो व्यक्ति न्यायालय में पक्षकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के प्रार्थना पत्र को न्यायालय की पत्रावली में प्राप्त कर उसके आधार पर अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि विचारण न्यायालय ने बदनबाई जो पक्षकार नहीं है उसके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में किया है।

11— विचारण न्यायालय की पत्रावली से यह सुस्पष्ट है कि अपीलार्थी/वादी ने जिन्हें प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया है उनका इस विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध व सरोकार नहीं है तथा जिन व्यक्तियों का विवादग्रस्त भूमि में सम्बंधित खातेदार की पत्नि व पुत्री होने के कारण प्रथम दृष्टया हित निहित होना प्रतीत होता है उन्हें पक्षकार ही नहीं संयोजित किया गया है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 तथा नियम 10(2) के तहत सम्बंधित न्यायालय को इन्हें पक्षकार संयोजित करने का आदेश देना चाहिए था एवं

तदोपरांत प्रभावित पक्षकार को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए युक्तियुक्त निर्णय पारित करना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं करने में विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

12— चूंकि प्रत्यर्थी/अपीलार्थी सं01 सें 5 विचारण न्यायालय में प्रतिवादी नहीं थे अतः जैसे ही उन्हें विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई उन्होंने अपील दायर की। इस सम्बंध में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील स्वीकार करने में किसी तरह की त्रुटि नहीं की है; परन्तु ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी को चाहिए था कि वे प्रत्यर्थी/अपीलार्थीगण को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित करते हुए इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विचारण न्यायालय को विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित करते। परन्तु भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने ऐसा नहीं कर प्रथम अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया जबकि उन्हें विचारण न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय को निरस्त करने के साथ ही प्रकरण पुनः निर्णय एवं पुनः सुनवाई हेतु उक्तानुसार प्रतिप्रेषित करना चाहिए था।

13— उक्त तथ्यात्मक वस्तुस्थिति एवं विधिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में यह अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के आलोच्य निर्णय दिनांक 6—11—2006 को इस अंश तक यथावत रखा जाता है जिससे उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 15—5—1991 को अपास्त किया गया है। इसके पश्चात आलोच्य आदेश को संशोधित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को उक्त ऑब्जरवेशन्स के मद्देनजर प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृत्तक खातेदार देवीसिंह की पत्नि व पुत्रियों को प्रतिवादी के रूप में संयोजित करते हुए उनसे जवाब प्राप्त कर युक्तियुक्त विवाद्यकों का स्थिरीकरण कर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी0एल0गुप्ता)
सदस्य

(डॉ0जी0के0तिवारी)
सदस्य